रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-3300

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2000/भाद्र 30, 1922

No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2000/BHADRA 30, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(संकल्प)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2000

सं. 12011/44/99-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) मंत्रालय के अ... 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली ... सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के उपबंध के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों ... केन्द्रीय सूची में शामिल करने तथा कम शामिल करने के लिए अनुरोधों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई ...

3. इस संबंध में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचियों को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (... दिनांक 10 सितम्बर, 1993, सं. 12011/9/94-बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्तूबर, 1994, सं. 12011/7/95-बी.सी.सी. दिनांक 4 मई, 1995 ... 12011/96/94-बी.सी.सी. दिनांक 11 मार्च, 1996 के तहत जारी किया गया। उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश... आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी. दिनांक 9 मार्च, 1996, सं. 12011/44/... बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर, 1996, सं. 12011/13/97-बी.सी.सी. दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 तथा सं. 12011/68/98-बी.सी.सी. दिनांक ... अक्तूबर, 1999, सं. 12011/88/99-बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर, 1999, सं. 12011/36/99-बी.सी.सी. दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के तहत ... की गई है।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिल... उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन करने के लिए जातियों/समु... (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नामों की सिफारिश की है।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की के... सूची में अनुबंध में दिए गए अंतर्वेशनों/संशोधनों को अधिसूचित करने का निर्णय किया है। ये अंतर्वेशन/संशोधन इस संकल्प के जारी हो... तारीख से प्रभावी होंगे।

गौरी चटर्जी, ...

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेश/संशोधन

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. कर्नाटक
6. मध्य प्रदेश
7. उड़ीसा
8. पांडिचेरी
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/पर्यायों सहित) के नाम।

क्र. सं.	राज्य का नाम	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15. नाई-ब्राहमिन (मंगली)	नाई-ब्राहमिन (मंगली) मंगला, बजंतरी, 104 अ[illegible] पोलावरम, गोपालापुरम, कोयालागुडेम [illegible]टायागुडेम, छगलुमंडल पश्चिम गोदा[illegible] जले के लिए और देवीपत्तनम और कोरूगोंण[illegible]कावरम पूर्वी गोदावरी जिले के लिए
2.	गोवा	शून्य	15 कलैकार
3.	गुजरात	शून्य	81 सरवारा
4.	हरियाणा	15 चिंबा या छिंबा छिपी, छिम्पा, दरजी	15 चिंबा या छिंबा, छीपी, [illegible]म्पा, दरजी, रोहिला
		27 गदरिया	27 गदरिया, पाल
		30 झंगरा-ब्रहमन, झंगरा ब्राहमन या जंगिर ब्रहमन खाती, रमगरिया	30 झगरा-ब्रहमन या जंगरा-[illegible]ाहमन या जंगिद ब्रहमन खाती, रमग[illegible], सुधार, धीमन, तरखान, बारहई, बड्डी
		31 जोगीनाथ	31 जोगी, नाथ, जंगम, जो[illegible]
		40 लुहार या लोहार सैफी	40 लोहार या लुहार सैफी पंचाल
		54 सुनार	54 सुनार, जरगर, सोनी
5.	कर्नाटक	146 उपारा, उपेरा लिनयायत उपारा/सुन्नागारा, उपलियान बेलदार, शंगारा, चुनार गावांडी, गोवांडी मेंलुशक्कारे	146 उपारा, उपार, उपेरा लि[illegible]ायत, उपारा/सुन्नागारा उपलियान, बेलदा[illegible] चुनार गावांडी, गोवांडी, गावाडी कल्लुकुटि[illegible] उपारा, मेलुशक्कारे मेलुशक्कार्यावरू, नमदा उप[illegible] सुन्ना उपारा, सुन्नगारा, पडित/पडती, उप[illegible]गा, उपलिगासेट्ठी, सागर, सगारा, केरेवंडीयावर[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)
		159 नेगी, लिंगायतनेगी/नेकार/नेगी, कुरूसिनासेटी लुंगायत कुरूसिनासेट्टी बिलिमग्गा, लिंगायत बिलिमग्गा, थोगटा, सोनिगा, जमखाना अईरी, अविर, साले कैलकोलन, नीकार, जदर, लिंगायतजदरू, शकूलासाले	159 नेगी, पट्टसाले, लिंगायतनेगी/नकार/नेगी लुंगायत कुरूसिनोसेट्टी, बिलिमग्गा, लिंगायत बिलिमग्गा, थोगटा, सोनिगा, जमखाना, अयीरी, अवीर साले, पदमासाले, शाले, कैलकोलन, नीकार, जदर, लिंगायत जदरू, शकुलासाले
		163 नइंदा, लिंगायत नइंदा, नयानजा-क्षत्रिया नयानजा-क्षत्रिय, हज्जाम/हज्जम, नावी, नाडिग अंबटन, मंगला, केलासी क्षोवार्ड, क्षोवारिक/क्षौरिका/क्षौवारिका, चौरिया, नवालिगा/नवालिगारा/नावी नपीथा,भंडारी, लिंगायत भंडारी, लिंगायतवजंतरी, लिंगायत हदापदा	163 नइंदा, लिंगायतनइंदा, नयानजा-क्षत्रिया, नयानजा-क्षत्रिय, हज्जाम/हज्जम, नावी, नाडिग अंबटन, मंगला, किलासी क्षोवार्ड, क्षोवारिक/क्षौरिका/क्षौवारिका, चौरिया, नवालिगा/नवालिगारा/नावी नपीथा, सविथा, भंडारी, बंडारी, लिंगायत भंडारी, वजंतरी/भजन्तरी, लिंगायत बंजंत्री महाले, हदापदा, लिंगायत हदापदा, मंलागरा, परियाला
		शून्य	170 सोमावंशा आर्य क्षत्रिय ताम्वत नालाबुंद, चित्रागार
		शून्य	171 पिंजारा पिंजारी नादफ लदफ, मंसूरी डुडेकुला
		शून्य	182 कुम्बरी मराठा (उत्तरी कन्नड जिले से संबंधित)
		शून्य	183 कुलवाडी (सुद्रा) मराती (उत्तर कन्नड जिले से संबंधित)
6.	मध्य प्रदेश	59(18) बंजरा	59(18) बंजारा, मुकेरी माकरानी
7.	उड़ीसा	103 माली, फुलिया, साभबारिया, भाजेमाली,	103 माली, फुलिया, साभबारिया, भाजेमाली, मुनी, राउला (केवल गंजाम जिले का राउला)
		शून्य	194 कालांदी बाइशानबा/कालांडी बाईशनाब
8.	पाण्डिचेरी	148 नादर	148 नादर (ईसाई नादर को शामिल)
		शून्य	261 नामदेव मराठा
9.	राजस्थान	शून्य	63. कालवी
		शून्य	64. भटियारा
		शून्य	65. राय-सिख
10.	तमिलनाडु	123 पुल्लुवार या पोलुवार	123 पुल्लुवार या पालुवार, पोलूवा गाउंडर
		शून्य	179 काल्लर कुला थुंडामन
11.	उत्तर प्रदेश	शून्य	74 राय सिख (महात्म)
12.	पश्चिम बंगाल	शून्य	52 ईसाई तथा उनकी संतान को अनुसूचित जाति में परिवर्तित करना।
		शून्य	53 रायीन कुन्जरा 54 हेला/हलाई/चासी-कयारता, दास काइवरता

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 21st September, 2000

No. 12011/44/99-BCC.— The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Deptt. of Personnel and Training) OM. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated the 8th September, 1993 have reserved 2 % of vacancies in Civil Posts and Services under the Central Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other Backward Classes (OBCs).

2. The National Commission for Backward Classes (NCBC) was set up as per the provisions of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over inclusion and under inclusion in the Central List of Other Backward Classes.

3. The Common Central List of Other Backward Classes in respect of 26 States/UTs were notified vide Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC (c) dated the 10th September, 1993. No.12011/96/94-BCC dated the 19th October, 1994, No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May, 1995, No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997. The said lists were modified on the basis of the recommendations of the National Commission for Backward Classes and notified from time to time vide resolutions No.12011/96/94-BCC dated the 9th March, 1996, No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996, No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997, No.12011/68/98-BCC dated 27th October, 1999, No.12011/88/99-BCC dated 6th December, 1999 and No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000.

4. The National Commission for Backward Classes have subsequently recommended Castes/communities (including sub-Castes/synonyms) for inclusion/amendment in the Central List of OBCs in respect of Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Pondicherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal.

5. Th Government have considered and accepted the recommendations of the Commission. Accordingly the inclusions/amendments in the Central List of OBCs in respect of aforesaid State/UTs as given in the annexure is hereby notified. These inclusions/amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution.

GAURI CHATTERJEE, Jt. Secy.

Annexure

Inclusion/Amendment in the Central List of OtherBackward Classes (OBCs) in respect of under mentioned States/UTs.

1. Andhra pradesh
2. Goa
3. Gujarat
4. Haryana
5. Karnataka
6. Madhya Pradesh
7. Orissa
8. Pondicherry
9. Rajasthan
10. Tamil Nadu
11. Uttar Pradesh
12. West Bengal

S. No.	Name of State	Old Entry	New Entry
1.	Andhra Pradesh	15 Nayi-Brahmin (Mangali)	15 Nayi-Brahmin(Man gali, Mangala, Bhajanth)
		Nil	104 Atirasa (of Polavaram, Gopalapuram, Koyyalagudem, Buttayagudem, Chagallu Mandals of West Godavari Dist and Devipattanam, Korukonda and Gokavaram Mandals of East Godavari Dist
2.	Goa	Nil	15 Kalaikar
3.	Gujarat	Nil	81 Sathwara
4.	Haryana	15 Chimba or Chhimba, Chhipi, Chimpa, Darzi	15 Chimba or Chhim a, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla
		27 Gadaria,	27 Gadaria, Pal,
		30 Jhangra-Brahman, Jangra-Brahman or Jangid Brahman, Khati, Ramgarhia	30 Jhangra Brahma or Jangra Brahman Jangid Brahman, Khati, Ramgarhia, Suthar, Dhiman, Tarkhan, Barhai, Baddi
		31 Joginath	31 Jogi, Nath, Jangam-Jogi,
		40 Lohar or Luhar, Saifi.	40 Lohar or Luhar Saifi, Panchal